


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल बोर्ड ग्यालियर, १ मोरो

03687
16-1-06



23
17-06

A 95 II 106
कल्पना भद्र हुसेन असारी तनय शेष रमजान अन्सारी, निवासी-गुट, तहो-गुट,
जिला-रीवा मोरो
-----अपीलाट

बनाम

मन्दूर अली तनय शाकिर अली निवासी ग्राम-गुट, तहसील- गुट, जिला-रीवा
-----रेस्पाडेंट

मन्दूर - ५. २
कल्पना भद्र हुसेन - ६-१-०६ मोरो

अपील प्रस्तुत निर्णय व आदेश प्रकरण क्र०-६०
अपील/१९-२०००. न्यायालय श्रीमान् अपर
आयुक्त महोदय रीवा संशाग रीवा म.प्र.
आदेश दिनांक-: २८.११.२००५.

अपील अन्तर्गत धारा ४४। ११२५ म.प्र. ग०
राजस्व सौहता।

प्रथम अपील

मान्यवर,

अपील के आधार निम्नोलिखित हैं:-

- ०१- यह कि अपीलाट मोरो हुसेन असारी अधिस्थय न्यायालय अपर क्षेमीशनर कोर्ट रीवा संशाग रीवा, के आदेश दिनांक- २८-११-२००५. के प्रस्तुत यह अपील प्रस्तुत कर रहा है जो उक्त अपील माननीय न्यायालय में ग्राह्य घोष्य है।
- ०२- यह कि अपीलाट माननीय अधिक न्यायालय के महोदय अपर क्षेमीशनर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग - अ

प्रकरण क्रमांक अपील 95 -दो / 2006

जिला रीवा

मोहम्मद हुसैन अंसारी

विरुद्ध

मन्जूर अली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश अनिमाषकों आदि के हस्ताक्षर
७-11-2016	<p>आवेदक की ओर से श्री कुवेर प्रसाद अग्निहोत्री अधिवक्ता उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राहयता पर सुना गया। उनके द्वारा मुख्य रूप से प्रकरण में वही तर्क प्रस्तुत किए जो अपील मेमो में अंकित हैं।</p> <p>प्रकरण में अपील मेमो का अध्ययन किया गया तथा अपील मेमो के संलग्न अपर आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 28.11.2005 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण में मुख्य विवाद रास्ते से संबंधित है।</p> <p>अपील मेमों में अंकित तथ्यों एवं आक्षेपित आदेश में निकाले गये निश्कर्षों पर विचार किया गया, विचारोपरांत प्रकरण में ग्राहयता का समुचित एवं पर्याप्त आधार न होने से यह अपील प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्र०दा०रि० हो।</p>  